

पुनर्वित्त नीति में बदलाव - योग्यता मानदंड

राआबैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने हेतु अधिक आ.वि.कं. को सक्षम बनाने हेतु, चूंकि उन्हें दी गई विस्तारित पुनर्वित्त सहायता असेवित श्रेणियों को संस्थागत आवास ऋण के प्रवाह को सुधारने में मदद करेगा, निम्नलिखित मानदंडों के संदर्भ में पुनर्वित्त नीति में बदलाव का निर्णय लिया गया है

नए आ.वि.कं. हेतु पात्रता मानदंड

नए आ.वि.कं. हेतु निर्धारित अतिरिक्त मानदंड से छूट देने का निर्णय लिया गया है. हालांकि सभी आवास कंपनियों हेतु मानदंड समान ही होंगे चाहे वो कभी भी निगमित हुई हो. नई आ.वि.कं. को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना चाहिए:

- आवास हेतु दीर्घ कालीन वित्त में पूंजी का न्यूनतम 75% लगा हो
उपरोक्त कथोक्त पात्रता शर्त के उद्देश्य हेतु ‘